(2)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 17 / डी– 192 दिनांकः– 1-3-1

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 131वीं बैठक दिनांक 21.02.2017 को मध्याह्न 12.30 ब जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीग का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		131:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 130वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 130 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान कुछ प्रकरणों में लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी पालना नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया व भविष्य में पालना समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को दिये। निम्न प्रकरणों की समीक्षा कर आयुक्त महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:– 1. प्रस्ताव संख्या 118:17:– जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को अशोक विहार बी सैक्टर जी में आवंटित भूमि का आवंटन पत्र दिनांक 16.12.16 को जारी किया गया है। यदि मांग राशि जमा नहीं कराई गई है, तो आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावे। 2. प्रस्ताव संख्या 125:10:–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इंजीनियर्स कॉलोनी के एक पार्क क्षेत्रफल 2930.20 वर्गमीटर भूमि में से 1200 वर्गमीटर भूमि (पार्क की भूमि में से आवंटन हेतु कॉलोनीवासियों / विकास समिति की सहमति की शर्त पर) आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–पीआरएन (उत्तर) ने बताया कि कॉलोनीवासियों द्वारा पार्क की भूमि में आवंटन हेतु एतराज किया जा रहा है, भूमि का कब्जा देना असंभव है। अतः आयुक्त महोदय ने अन्य वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। 3. प्रस्ताव संख्या 126:5:–श्री पप्पू गुर्जर को भूखण्ड संख्या 193 का आवंटन करने के संबंध में पुनः 15 दिवस की अवधि का नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जावे। 4. प्रस्ताव संख्या 127:11(2):–गुरूद्वारा श्री गुरूसिंघ सभा, सैक्टर–3, मालवीय नगर, जयपुर को सूचित कर दिया गया है। अतः आयुक्त महोदय ने अन्य वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। 5. प्रस्ताव संख्या 128:7:–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खटवाडा को आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये 1874.22 वर्गमीटर जविप्रा के कब्जे में लिये जाने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–11 को उक्त भूमि शीघ्र कब्जे में लेने हेतु टीम बनाकर शीघ्र कार्यवाही कराने के निर्देश दिये।

3

				6. प्रस्ताव संख्या 128:18(1), 128:18(2) व 128:18(3):–श्री कल्याण जैम एक्सपोर्टस् लि., मैसर्स रूबी बिल्डकोन प्रा.लि. को बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटन के संबंध में उपायुक्त को विस्तृत जांच कर पत्रावली पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उपायुक्त जोन–4 को विस्तृत जांच कर शीघ्र संशोधित एजेण्डा नोट मय पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। 7. प्रस्ताव संख्या 130:3:–मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का प्रकरण होने से दिनांक 21.02.17 को आयुक्त महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जावे। 8. प्रस्ताव संख्या 130:4:–राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी हेतु जविप्रा स्वामित्व की ग्राम विधाणी अथवा आस–पास के ग्राम की अविकसित भूमि की सूची के साथ पत्रावली प्रस्तुत की जावे। 9. प्रस्ताव संख्या 130:12:–उपायुक्त जोन–5 को निर्देशित किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अधिकारियों से वार्ता कर भूमि जविप्रा के कब्जे में लेने की कार्यवाही की जावे।
2.	13	131:2	सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को रिजर्व बटालियन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर हेतु ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी में 60 एकड भूमि आवंटन के संबंध में जारी किये जाने वाले पट्टों में संशोधन किये जाने बाबत।	सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को रिजर्व बटालियन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर हेतु ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी में 60 एकड भूमि आवंटन की गई थी। एसएसबी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जारी किये जाने वाले लीजडीड (पट्टा) की शर्त संख्या 11 व 14 से 16 में छूट प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उपायुक्त द्वारा उक्त लीजडीड की शर्तों में परिवर्तन के संबंध में निर्णयार्थ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एसएसबी की ओर से श्री अमित शर्मा, कमांडेंट उपस्थित हुये। समिति द्वारा सर्वसम्मति से शर्त संख्या 11 व 15 प्रश्नगत प्रकरण पर लागू नहीं होने से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उपस्थित कमांडेंट ने प्रतिवर्ष शहरी जमाबंदी कराने में भी छूट देने का आग्रह किया गया। इस पर समिति द्वारा अवगत कराया गया कि उपायुक्त द्वारा एसएसबी को नियमानुसार वार्षिक लीज की 8 गुना राशि एक मुश्त जमा कराये जाने का विकल्प दिया हुआ है। उक्तानुसार राशि जमा कराने पर प्रतिवर्ष राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
3.	5	131:3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, जयपुर को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगल विहार हेतु मंगल विहार योजना में सुविधा क्षेत्र में 583. 01 वर्गगज भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, जयपुर को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगल विहार हेतु मंगल विहार योजना में सुविधा क्षेत्र में 583.01 वर्गगज भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगल विहार हेतु 583.01 वर्गगज भूमि निशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	7	131:4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत (शहर) राजस्थान जयपुर को ग्राम कनकपुरा, तहसील जयपुर के खसरा नं. 234/2, 234/308/2 एवं 236 रंगोली गार्डन ग्रुप हाउसिंग महाराणा प्रताप रोड, जविप्रा की भूमि में से 2514 वर्गमीटर भूमि	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत (शहर) राजस्थान जयपुर को ग्राम कनकपुरा, तहसील जयपुर के खसरा नं. 234/2, 234/308/2 एवं 236 रंगोली गार्डन ग्रुप हाउसिंग महाराणा प्रताप रोड, जविप्रा की भूमि में से 2514 वर्गमीटर भूमि पम्प स्टेशन हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को रंगोली गार्डन में 2514 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर

आयुक्त (भू.प्र.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन करने बाबत।	आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निःशुल्क आवंटन चाहा गया है, अतः प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
5.	8	131:5	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार पी ब्लॉक में 997.53 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार पी ब्लॉक में स्थित 997.53 वर्गमीटर (1193.05 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को नारायण विहार पी ब्लॉक में 997.53 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	8	131:6	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना खुशी एनक्लेव बी ब्लॉक में 576.21 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना खुशी एनक्लेव बी–ब्लॉक में स्थित 576.21 वर्गमीटर (689.15 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को खुशी एनक्लेव बी ब्लॉक में 576.21 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	8	131:7	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी में 811.07 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी में स्थित 811.07 वर्गमीटर (970.03 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को पार्श्वनाथ नारायण सिटी में 811.07 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8	8	131:8	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना दादू दयाल नगर ई–ब्लॉक में 997.00 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना दादू दयाल नगर–ई ब्लॉक में स्थित 997.00 वर्गमीटर (1192.42 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3 /2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को दादू दयाल नगर ई–ब्लॉक में 997.00 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	8	131:9	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर में 999.89	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर में स्थित 999.89 वर्गमीटर (1195.87 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3 /2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को केसर नगर में 999.89 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	8	131:10	श्री अरन्दिम साहा पुत्र श्री मन्टू साहा को बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 27, सचिवालय विहार के भूखण्ड संख्या 317 की अतिरिक्त भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट के अनुसार बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 27, सचिवालय विहार के भूखण्ड संख्या 317 क्षेत्रफल 207.12 वर्गगज की लीजडीड श्री सी0 वर्गिस के नाम से जारी की गई थी। श्री सी0 वर्गिस द्वारा उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 207.12 वर्गगज में से 73.57 वर्गगज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अरिन्दम को बैचान कर दिया गया। अनुमोदित मानचित्र में उक्त भूखण्ड 261.70 वर्गगज का सृजित है, किन्तु मूल भूखण्डधारक के दस्तावेजों के आधार पर तत्समय आवेदक को 207.12 वर्गगज का पट्टा/साईट प्लान जारी किया गया। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के तीन उपविभाजन के क्रम में तीन में से एक भाग हेतु प्रार्थी ने आवेदन किया है। कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही स्थिति है। अतः भूखण्ड संख्या 317 में मौके पर 54.58 वर्गगज क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जिसका पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। अतः बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मूल भूखण्ड 317 की लीजडीड श्री सी0 वर्गिस के नाम जारी की गई थी। जिसमें से कुछ भाग का बेचान करने के बाद उक्त भूखण्ड के तीन भाग हो गये हैं। अतः प्रथमतः प्रकरण में उपविभाजन की कार्यवाही सक्षम स्तर से कराई जावे।
11.	9	131:11	ग्राम पंचायत दांतली को ग्राम सिरोली में श्मशान के लिए भूमि आरक्षण करने बाबत।	एलपीसी की 127वीं बैठक दिनांक 20.09.16 में ग्राम पंचायत दांतली के ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2138 क्षेत्रफल 13.70 हैक्टेयर मे से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त खसरा नं. 2138 पर जविप्रा की व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना की प्लानिंग की जा चुकी है। अतः उपायुक्त द्वारा जविप्रा की योजना सिरोली व्यावसायिक एव ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड संख्या जी–3 क्षेत्रफल 29987.00 वर्गमीटर के उत्तरी हिस्से में से 2500 वर्गमीटर भूमि 30 मीटर सडक पर श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जोन द्वारा यह जांच की जावे कि वर्तमान में श्मशान हेतु कितनी भूमि किस स्थान पर उपयोग में ली जा रही है तथा क्या उक्त भूमि के अतिरिक्त और भूमि की आवश्यकता है अथवा नहीं। जविप्रा की व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग स्कीम में श्मशान हेतु भूमि आरक्षण करने से योजना पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
12.	9	131:12	मैजर ओम सिंह पुत्र श्री छोटूराम चौधरी को जविप्रा की योजना रामनगरिया के भूखण्ड संख्या ए–273 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 73.57 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	मैजर ओम सिंह पुत्र श्री छोटूराम चौधरी को जविप्रा की योजना रामनगरिया के भूखण्ड संख्या ए–273 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। प्रकरण में मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 73.57 वर्गमीटर बढ़ कर 325.57 वर्गमीटर हो रहा है। उपायुक्त द्वारा उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल (स्ट्रीप

अति० आयुक्त (एल०पी०सी०)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(6)

				ऑफ लैण्ड) का पृथक भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता, संबंधी टिप्पणी भी अंकित की है। आवेदक द्वारा आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या ए–273 में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 73.57 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	11	131:12	जैसनसरिया एस्टेट एल.एल.पी. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 14 (नॉन कॉर्नर) आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	जैसनसरिया एस्टेट एल.एल.पी. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 14 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 12.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। आवेदक द्वारा बढे क्षेत्रफल की राशि जमा कराने की सहमति प्रस्तुत करने पर उपायुक्त द्वारा प्रार्थी को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर संशोधित आवंटन पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा आरक्षित दर पर आवंटन करने का निवेदन किया गया है। अतः उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन किस दर पर किया जाना है, के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड संख्या 14 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 12.50 वर्गमीटर स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं होने से योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	11	131:14	श्री पुरूषोत्तमलाल जैसनसरिया पुत्र श्री सुखलाल जैसनसरिया को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 16 (नॉन कॉर्नर) आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 18.75 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	श्री पुरूषोत्तमलाल जैसनसरिया पुत्र श्री सुखलाल जैसनसरिया को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा में आवासीय भूखण्ड संख्या 16 (नॉन कॉर्नर) क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 18.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। आवेदक द्वारा बढे क्षेत्रफल की राशि जमा कराने की सहमति प्रस्तुत करने पर उपायुक्त द्वारा प्रार्थी को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर संशोधित आवंटन पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा आरक्षित दर पर आवंटन करने का निवेदन किया गया है। अतः उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन किस दर पर किया जाना है, के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड संख्या 16 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 18.75 वर्गमीटर स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं होने से योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	12	131:15	अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को ग्राम किशोरपुरा चारणान तहसील जयपुर के खसरा नं. 27 किस्म गैर मुमकिन श्मशान, रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को ग्राम किशोरपुरा चारणान तहसील जयपुर के खसरा नं. 27 किस्म गैर मुमकिन श्मशान, रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम किशोरपुरा चारणान के खसरा नं. 27 में से 1000 वर्गमीटर भूमि (ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर) निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (...पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

16.	12	131:16	अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को ग्राम हाथोज तहसील. जयपुर के खसरा नं. 383 किस्म गैर मुमकिन श्मशान, रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नं. 383 किस्म गैर मुमकिन श्मशान, रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई. एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3 /2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम हाथोज के खसरा नं. 383 में से 1000 वर्गमीटर भूमि (ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर) निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	12	131:17	अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की योजना खुशी सिटी ए ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 7845.98 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड द्वितीय (उत्तर) को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की योजना खुशी सिटी ए ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 7845.98 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3 /2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को खुशी सिटी ए ग्राम बिन्दायका के सुविधा क्षेत्र में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	12	131:18	श्री ललित कुमार को आवास सं. के–2/टीएफ/15 मैसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. योजना में उक्त आवास अन्य को आवंटित होने से विनिमय में अन्य आवास दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवास सं. के–2/टीएफ/15 मेसर्स सिन्टेक्स इण्डस्ट्रीज लि. योजना में श्रीमती प्रभा शर्मा को दिनांक 05.05.11 को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था, उक्त आवास की लीजडीड दिनांक 11.07.16 को श्रीमती प्रभा शर्मा के नाम जारी की जा चुकी है। उक्त आवास सं. के–2/टीएफ/15 सहवन से पुनः लॉटरी में सम्मिलित हो गया तथा उक्त आवास का आवंटन दिनांक 18.05.16 को लॉटरी द्वारा श्री ललित कुमार के नाम हो गया। अतः उपायुक्त द्वारा श्री ललित कुमार को उक्त आवास के बदले उक्त योजना में समान क्षेत्रफल व समान श्रेणी का उपलब्ध आवास सं. के–1/एफएफ/8 का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त के अनुसार उक्त योजना में अन्य कोई आवास रिक्त नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवास सं. के–2/टीएफ/15 के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान श्रेणी का उपलब्ध एक मात्र आवास सं. के–1/एफएफ/8 का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
19.	12	131:19	श्रीमती रितिका फंडा को भूखण्ड संख्या बी–23 केदार विहार योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्रीमती रितिका फंडा को भूखण्ड सं. बी–23 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर केदार विहार योजना का आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन कम मांग पत्र दिनांक 22.05.15 को जारी किया गया था। देय राशि जमा कराये जाने के पश्चात् आवंटी को कब्जा पत्र जारी करने हेतु आवंटित भूखण्ड का साईट प्लान तैयार करते समय यह ज्ञात हुआ कि भूखण्ड संख्या बी–23 केदार विहार के चारो तरफ राजकीय विद्यालय ग्राम राजपुरा द्वारा कब्जाशुदा दीवार बनी है, जिसके कारण आवंटी को भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाना संभव नहीं है। उपायुक्त द्वारा योजना में समान क्षेत्रफल व समान चौडाई की सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–51, बी–54, बी–55, बी–61 व बी–62 में से एक भूखण्ड के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर केदार विहार के भूखण्ड

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				संख्या बी–23 के स्थान पर योजना में समान क्षेत्रफल व समान चौडाई की सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–51, बी–54, बी–55, बी–61 व बी–62 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
20.	12	131:20	श्री प्रेमनारायण शर्मा को भूखण्ड संख्या बी–393 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर रघुनाथ विहार योजना का क्षेत्रफल बढ जाने से अन्य भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त ने अवगत कराया है कि श्री प्रेमनारायण शर्मा को भूखण्ड सं. बी–393 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर रघुनाथ विहार योजना का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड 12 मीटर रोड पर स्थित है, जिसका आवंटन कम मांग पत्र दिनांक 13.06.16 को जारी किया गया था। देय राशि जमा कराये जाने के पश्चात् आवंटी को कब्जा पत्र जारी करने हेतु आवंटित भूखण्ड का साईट प्लान तैयार करते समय यह ज्ञात हुआ कि आवंटित भूखण्ड अनुमोदित मानचित्र में 90 वर्गमीटर के स्थान पर 162 वर्गमीटर का है। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि चूंकि आवेदक द्वारा 90 वर्गमीटर श्रेणी में आवेदन किया गया था, वर्तमान में समान रोड व समान क्षेत्रफल का एक मात्र रिक्त भूखण्ड संख्या बी–72 आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–393 के स्थान पर योजना में समान रोड व समान क्षेत्रफल के उपलब्ध एक मात्र भूखण्ड संख्या बी–72 का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
21.	13	131:21	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की आवासीय योजना कल्पना नगर की खसरा सीमा से प्रभावित व कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में आवंटित होना तथा क्षेत्रफल कम–अधिक होने वाले आवंटित भूखण्डों को अन्य भूखण्ड विनिमय में आवंटन/बदली किये जाने बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कल्पना नगर योजना की दिनांक 13.08.14 को आयोजित लॉटरी में सहवन से 18 आवंटियों को साधारण भूखण्ड के स्थान पर ऐसे भूखण्ड आवंटित हो गये, जो खसरा सीमा से प्रभावित, कॉर्नर भूखण्ड या जिनमें क्षेत्रफल कम–अधिक है। अतः उपायुक्त द्वारा 18 भूखण्डों को खसरा सीमा से प्रभावित, कॉर्नर भूखण्ड का सहवन से आवंटन हो जाने या क्षेत्रफल कम–अधिक हो जाने से वर्तमान में 30 भूखण्ड रिक्त होना बताया जाकर विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार सूची में अंकित क्रम संख्या 1 से 11 व 13 से 16 को समान माप के उपलब्ध भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक–एक भूखण्ड का एवं क्रम संख्या 12 व 18 में समान माप के एक–एक भूखण्ड ही उपलब्ध होने से सभी आवंटियों से सहमति प्राप्त होने की शर्त पर विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
22.	13	131:22	श्री मुकेश यादव को श्री जनता कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना विश्वकर्मा नगर के भूखण्ड संख्या 22 का बढे हुये क्षेत्रफल सहित पट्टा जारी करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट के अनुसार श्री मुकेश यादव को श्री जनता कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना विश्वकर्मा नगर के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 251 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड की माप 280 वर्गगज है व मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड की माप 272 वर्गगज है। जबकि सोसायटी द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार भूखण्ड की माप 251.44 वर्गगज है। अतः उपायुक्त द्वारा सोसायटी द्वारा जारी क्षेत्रफल से अधिक बढे हुये क्षेत्रफल 20.56 वर्गगज के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार योजना के भूखण्ड संख्या 21 व 23 के भूखण्डधारियों ने एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 22 के ही भूखण्डधारी का बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में अपनी सहमति/अनापत्ति प्रस्तुत की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 22 में बढा हुआ क्षेत्रफल 20.56 वर्गगज को योजना की वर्तमान आवासीय

उप/अति. आयुक्त (भू.प्र.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(9)

				आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23.	8	131:23	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना भास्कर एनक्लेव द्वितीय में 611.11 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, जयपुर रीजन–2, गांधी नगर, जयपुर को पेयजल योजना हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना भास्कर एनक्लेव द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए–56 व ए–35 के उत्तर में स्थित 611.11 वर्गमीटर (730.89 वर्गगज) सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को भास्कर एनक्लेव द्वितीय में 611.11 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 9.4 में राजकीय विभागों द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। विभागाध्यक्षों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने में अत्यधिक समय लगता है, जिससे समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तथा बजट घोषणा की क्रियान्विति में अनावश्यक समय लगता है और राजकीय बजट लैप्स होने की भी संभावना रहती है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बिन्दु पर शिथिलता प्रदान करते हुये ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा जाने का निर्णय लिया गया।

राजकीय विभागों से प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक है। जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा अप्रसनता जाहिर करते हुये सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि चिन्हित करें व एक सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर एलपीसी बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत करे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

(10)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 131वीं बैठक दिनांक 21.02.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
5.	श्रीमती रजनी सी. सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2 व 7	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
8.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
9.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
12.	श्री ओम थानवी, तहसीलदार जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अमित शर्मा, कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल	विशेष आमंत्रित